(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th December, 2007

G.S.R. 280.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Stenographers' Service (Private Secretary Grade) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Secretariat Stenographers' Service (Private Secretary Grade) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Secretariat Stenographers' Service (Private Secretary Grade) Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said Rules), in rule 2, for clause (J), the following clause shall be substituted, namely :—

'(J) "The field of selection" shall be determined in accordance with the instructions and procedure to be followed by the Selection Committee as laid down by the Central Government from time to time'.

3. In the said Rules, in rule 7, for sub-rule (4), the following shall be substituted, namely :—

"(4) The Selection Committee shall classify such of the officers included in the field of selection list for appointment to the Private Secretary Grade as Fit or Unfit only with reference to the bench-mark of Good. Only those who are graded as Fit shall be included in the select list by the Selection Committee in the order of their inter se-seniority in the feeder grade of Stenographer Grade 'A' and 'B' (merged)".

4. In the said Rules, for rule 13, the following shall be substituted, namely :—

"13. **Power to Relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons".

5. In the said Rules, in Schedule-I under the heading B, after serial number 33, the following entries shall be added :—

"34. Ministry of Personnel, P.G. & Pensions

35. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

36. Ministry of Women and Child Development".

[No. 10/2/2005-CS-II]

G. S. PUNDIR, Under Secy.

Footnote :—The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16th June, 1989 *vide* GSR No. 629(E) dated 16-6-1989 and subsequently amended by Notification mentioned below :—

Sl. No.	GSR No.	Date	Type of Gazette	Part	Section	Sub-Section	Notification No.	Date
1.	57	3-2-90	Ordinary	II	3	(i)	5/25/88-CS.II	19-1-90
2.	448	11-9-93	Ordinary	II	3	(i)	10/1/93-CS.II	23-8-93
3.	167	8-4-95	Ordinary	II	3	(i)	10/1/93-CS.II	8-4-95
4.	515	21-6-95	Ordinary	II	3	(i)	13/4/94-CS.II	21-6-95

MGIPRRND—5072 PPG&P/2007—100

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3, SUB-SEC. (i)

Appearing on Page Nos. 1346—1347

Dated 22-12-2007

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2007

सा.का.नि. 280.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव श्रेणी) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव श्रेणी) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव श्रेणी) नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ञ) ''चयन क्षेत्र'' केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अधिकथित चयन समिति द्वारा अनुसरित किए जाने वाले अनुदेशों और प्रक्रिया के अनुसार अवधारित किया जाएगा' ।

3. उक्त नियमों के नियम 7 में, उपनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(4) चयन समिति ऐसे अधिकारियों को वर्गीकृत करेगी, जिन्हें केवल अच्छा बेंचमार्क के संदर्भ में उपयुक्त या अनुपयुक्त रूप में निजी सचिव श्रेणी में नियुक्ति के लिए चयन सूची के क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है । चयन समिति द्वारा, केवल उन्हीं व्यक्तियों को, जिन्हें उपयुक्त रूप में श्रेणीकृत किया गया है, आशुलिपिक श्रेणी 'क' और 'ख' (आमेलित) की फीडर श्रेणी में उनकी पारस्परिक ज्येष्ठता के क्रम में चयन सूची में सम्मिलित किया जाएगा''।

4. उक्त नियमों के नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''13. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन नियमों के किसी भी उपबंध को शिथिल कर सकेगी ''।

5. उक्त नियमों की अनुसूची-1 में शीर्ष 'ख' के अधीन क्रम संख्यांक 33 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :—

''34. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

35. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

36. महिला और बाल विकास मंत्रालय'' ।

[सं 10/2/2005-सीएस-II]

जी. एस. पुंडीर, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, तारीख 16 जून, 1989 में सा.का. नि. सं. 629(अ), तारीख 16-6-1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा उनमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए :—

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	तारीख	राजपत्र का प्रकार	भाग	खंड	उप-खंड	अधिसूचना सं.	तारीख
1.	57	3-2-90	साधारण	II	3	(i)	5/25/88-सीएस. II	19-1-90
2.	448	11-9-93	साधारण	II	3	(i)	10/1/93-सीएस. II	23-8-93
3.	167	8-4-95	साधारण	II	3	(i)	10/1/93-सीएस. II	8-4-95
4.	515	21-6-95	साधारण	II	3	(i)	13/4/94-सीएस. II	21-6-95